न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः— जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 57/2008/रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

1. नाथूराम पुत्र बोदूराम जाति गुर्जर निवासी धींगपुर
2. जगदीश, गोवर्धन पि. हनुमान, माली पत्नी हनुमान जाति गुर्जर निवासीगण धींगपुर
3. रूणाराम, भूणाराम पि. रामू जाति गुर्जर निवासी धींगपुर
4. प्रबन्धक, एसबीबीजे शाखा खाटूश्यामजी
5. प्रबन्धक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 शाखा खाटूश्यामजी
6. प्रबन्धक, शेखावाटी ग्रामीण बैंक, बाय

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू—राजस्व अधिनियम 1956

वकील अप्रार्थी श्री सागरमल, श्री सांवरमल

निर्णय दिनांकः—12.09.2019

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम धींगपुर के आराजी खसरा नम्बर 1387 रकबा 3.3800 है0, ख.न. 1392 रकबा 0.0600 है0, ख.न. 1393 रकबा 2.1000 है0, ख.न. 1394 रकबा 0.0100 है0, ख.न. 1395 रकबा 2.0300 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 7.5800 है0 की वर्तमान खातेदारी नाथूराम पुत्र बोदूराम हि. 5 बीघा जगदीश गोवर्धन पि. हनुमान माली पत्नी हनुमान हि. 5 बीघा रूणाराम, भूणाराम पि. रामू हि. 19 बीघा 19 बिस्वा समस्त जाति गुर्जर निवासीगण धींगपुर के नाम से दर्ज है। ग्राम धींगपुर तहसील दांतारामगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 615 रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी दोयम खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009—12 में सम्वत् 2008—12 में मन्दिर मूर्ति श्री देवनारायण जी के नाम दर्ज रिकार्ड थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में मन्दिर मूर्ति को साश्वत नाबालिग माना गया है एवं काश्तकारी अधिनियम के तहत नाबालिग की खातेदारी भूमियों का अन्तरण अवैध एवं प्रभाव शून्य है। उक्त भूमि श्री बोदूराम पुत्र रामू हि. 5 बीघा, हणमान पुत्र रामू हि. 5 बीघा, लूणाराम रूणाराम हि. 19 बीघा 19 बिस्वा के नाम नामान्तकरण संख्या 319 दिनांक 04.10.77 दर्ज हुआ। उक्त भूमि श्री नाथूराम पुत्र बोदूराम हि. 5 बीघा शेष बदस्तूर के नाम नामान्तकरण संख्या 234 दिनांक 06.07.2004 दर्ज हुआ। उक्त भूमि श्री जगदीश, गोवर्धन पुत्रगण हनुमान मालीदेवी पत्नी हनुमान के नाम रकबा 5 बीघा शेष बदस्तूर के नाम खातेदारी विरासत नामान्तकरण संख्या 205 दिनांक 06.05.2003 दर्ज हुआ। नामान्तकरण संख्या 243 दिनांक 21.08.2004 से उक्त भूमि में गोवर्धन पुत्र हनुमान, मालीदेवी पत्नी हनुमान का हिस्सा 5 बीघा एसबीबीजे. खाटूश्यामजी रहन दर्ज किया गया। नामान्तकरण संख्या 350 दिनांक 16.01.2007 से उक्त भूमि में रूणाराम पुत्र रामूराम जाति गुर्जर हिस्सा 1/2 शेखावाटी ग्रामीण बैंक बाय दर्ज की गई। भू—प्रबन्ध के दौरान साबिक खसरा नम्बर 615 जिसके नये खसरा नम्बर 1387, 1392, 1393, 1394,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं भू–राजस्व अधिनियम के तहत मन्दिर मूर्ति की भूमि का अन्तरण हस्तानान्तरण अवैध एवं प्रभाव शून्य है। अतः रेफरेन्स आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि खसरा नम्बर 1387, 1392, 1393, 1394, 1395 रकबा 7.58 है0 वाके ग्राम धींगपुर तहसील दांतारामगढ़ मन्दिर मूर्ति श्री देवनारायण जी के नाम दर्ज फरमाई जावे एवं नामान्तकरण संख्या 319, 234, 206, 243, 350 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009–2012 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर के नाम से दर्ज रिकार्ड रही है एवं खसरा गिरदावरी सम्वत् 2013–2016 के मुताबिक उक्त आराजियात माफी मन्दिर श्री देवनारायण जी के नाम से दर्ज रिकार्ड रही है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2024 से 2027 में खातेदार मन्दिर के स्थान पर बोदु पुत्र रामू गुर्जर सा. देह के नाम से दर्ज रिकार्ड अंकित है जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2028–2031 एवं 2032–2035 में भी बोदु पुत्र रामू गुर्जर सा.देह के नाम से दर्ज रिकार्ड अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2036–2039 के मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 615/1 की खातेदारी बोदु पुत्र रामू जाति गुर्जर, खसरा नम्बर 615/2 की खातेदारी रूणाराम भूणाराम पि. रामूराम जाति गुर्जर एवं खसरा नम्बर 615/3 की खातेदारी हनुमान पुत्र रामू जाति गुर्जर सा.देह के नाम से दर्ज रिकार्ड अंकित है। मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 01.03.60 के मुताबिक खसरा नम्बर 615 रकबा 29 बीघा 19 बिस्वा माफी मन्दिर श्री देव नारायण जी विराजमान देह अहतमाम पुजारी रामू पुत्र नानू कोम गुर्जर के नाम से दर्ज रिकार्ड अंकित है। भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक खसरा नम्बर 615 जिसके नये खसरा नम्बर 1387, 1392, 1393, 1394, 1395 अंकित कर दिये गये। नामान्तकरण संख्या 319 मुताबिक उपजिलाधीश सीकर के आदेश की पालना में बोदू पुत्र रामू हणमान पुत्र रामू आदि के नाम से दर्ज किया गया है। नामान्तकरण संख्या 234 के द्वारा खातेदार बोदू फौत हो जाने पर उनके वारिसान के नाम नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। नामान्तकरण संख्या 206 के द्वारा खातेदार हनुमान पुत्र रामू फौत होने पर उनके वारिसान के नाम तस्दीक कर दिया गया। इसके पश्चात् नामान्तकरण संख्या 243 मुताबिक रहननामा के एसबीबीजे. खाटू के नाम से तस्दीक कर दिया गया। नामान्तकरण संख्या 350 मुताबिक रहननामा के शेखावाटी ग्रामीण बैंक बाय के नाम से तस्दीक कर दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2063–2066 के मुताबिक खसरा नम्बर 1387, 1392, 1393, 1394, 1395 कुल किता 5 कुल रकबा 7.58 है0 की खातेदारी नाथूराम पुत्र बोदुराम हि. 5 बीघा राहिन जगदीश गोवर्धन पि. हनुमान माली पत्नी हनुमान एसबीबीजे शाखा खाटूश्यामजी मूर्तहिन हि.ब.हि 5 बीघा राहिन रूणाराम भूणाराम पि. रामू 19 बीघा 19 बिस्वा सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. शाखा मूर्तहिन जाति गुर्जर सा.देह खातेदार के नाम से दर्ज रिकार्ड अंकित है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009–2012 एवं 2013–2016 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर श्री देवनारायण जी के नाम से दर्ज रिकार्ड रही है एवं जमाबन्दी सम्वत् 2024–2027 के मुताबिक बिना किसी आदेश के उपरोक्त आराजियात मन्दिर के स्थान पर बोदु पुत्र रामू गुर्जर सा.देह के नाम से दर्ज रिकार्ड अंकित कर दी गई जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2032–2035 तक अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2036–2039 के मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 615/1 की खातेदारी बोदु पुत्र रामू जाति गुर्जर, खसरा नम्बर 615/2 की खातेदारी रूणाराम भूणाराम पि. रामूराम जाति गुर्जर एवं खसरा नम्बर 615/3 की खातेदारी हनुमान पुत्र रामू जाति गुर्जर सा.देह के नाम से दर्ज कर दी गई। खातेदार बोदू फौत होने पर नामान्तकरण संख्या 234 उनके वारिसान के नाम तस्दीक कर दिया गया। खातेदार हनुमान पुत्र रामू फौत होने पर नामान्तकरण संख्या 206 विरासत से हनुमान के वारिसान के नाम तस्दीक कर दिया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तस्दीक कर दिया गया एवं नामान्तकरण संख्या 350 मुताबिक रहननामा के शेखावाटी ग्रामीण बैंक बाय के नाम से तस्दीक कर दिया गया। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009–2012 एवं 2013–2016 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर श्री देवनारायण जी के नाम से दर्ज रिकार्ड होने के उपरांत जमाबन्दी सम्वत् 2024 से 2027 में उक्त मन्दिर की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज कर दी गई, जो बिना किसी आदेश के दर्ज कर दी गई है। मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज भूमियों पर किसी अन्य को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रोद्भुत नहीं होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम धींगपुर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 615 जिसके नये खसरा नम्बर 1387, 1392, 1393, 1394, 1395 के सम्बंध में तस्दीक नामान्तकरण संख्या 319, 234, 206, 243, 350 के द्वारा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज हुई है, जो निरस्त होने योग्य है। खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा के साथ पत्रावली माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजकर अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पुनः माफी मन्दिर श्री देवनारायण जी के नाम दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/9/19

(जयप्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official